



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57983

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3842/2026

सुरेश चन्द्र यादव

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : मनोज कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. श्री गौरव सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने एक बयान दिया है कि वह निर्देशों से अच्छी तरह सुसज्जित हैं और प्रकरण पर बहस करने की स्थिति में हैं। वह कोई जवाबी हलफनामा दायर करने का प्रस्ताव नहीं करता है और वह आगे प्रस्तुत करता है कि रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षों की सहमति से, रिट याचिका पर नए चरण में निर्णय लिया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता ने पूर्व में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए रिट-ए संख्या 15824 वर्ष 2025, सुरेश चन्द्र यादव बनाम उ०प्र० राज्य दायर की थी, जिसमें दिनांक 01.09.2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, आगरा ने मुख्य कोषाधिकारी, औरैया को याचिकाकर्ता को की गई कथित अतिरिक्त भुगतान राशि ₹5,24,137/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की वसूली हेतु निर्देशित किया था। उक्त रिट याचिका का निस्तारण दिनांक 29.10.2025 को किया गया, जिसका आदेश निम्नवत उद्धृत है—

- "1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार मिश्रा और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एसके पाल को सुना।
2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक संयुक्त बयान दिया गया है कि वे कोई हलफनामा दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और प्रकरण का फैसला इस स्तर पर किया जाए।
3. पक्षों की सहमति से प्रकरण का फैसला नए चरण में किया जा रहा है।
4. रिट याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उसे 01.10.1984 को पीएसी विभाग में कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया गया था और वर्ष 2000 में जीआरपी में स्थानांतरित कर दिया गया था और उसने 24.02.2024 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी, हालांकि दिनांक 01.09.2025 के आदेश के आधार पर, सहायक पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय आगरा ने मुख्य कोषागार अधिकारी, औरैया जिला औरैया को 5 रुपये की राशि वसूलने का निर्देश दिया। 24,137/- रुपये की राशि इस आधार पर दी गई थी कि रिट याचिकाकर्ता को कुछ अतिरिक्त भुगतान किए गए थे। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त कार्रवाई एक एकतरफा कार्रवाई है, रिट याचिकाकर्ता को नोटिस में रखा जाना चाहिए था और किसी भी धोखाधड़ी, छिपाने या गलत बयानी के अभाव में, वसूली प्रभावी नहीं हो सकती थी, वह भी सेवानिवृत्ति के बाद।
5. दूसरी ओर विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित आदेश से, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या कोई आदेश पारित किया गया है और उक्त आदेश मूल रूप से एक सारणीकरण चार्ट है। वह प्रस्तुत करता है कि औचित्य की मांग की गई थी कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस में रखा जाना चाहिए था ताकि वह अपनी बात को स्पष्ट कर सके कि वसूली की जा सकती है। वह प्रस्तुत करता है कि आदेश को रद्द कर दिया जाए, प्रकरण को एक नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेज दिया जाए।
6. मैंने बार में किए गए प्रस्तुतियों को सुना है और रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।
7. तथ्य कोई मुद्दा नहीं हैं। यह कोई मुद्दा नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता ने 24.02.2024 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी, दिनांक 01.09.2025 के आदेश में यह खुलासा नहीं किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस में रखा गया था। यदि नियोक्ताओं की राय थी कि कुछ राशि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



काटी जानी है, जो कानून के तहत अनुमेय है, तो औचित्य ने मांग की कि उन्हें रिट याचिकाकर्ता को नोटिस में रखना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भगवान शुक्ल बनाम भारत संघ के प्रकरण में निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

"3. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह तय किया गया था, इस पर विवाद नहीं है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 190 रुपये पैन से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। 1991 में पूर्वव्यापी रूप से 18.12.1970 से। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से नागरिक परिणामों के साथ देखा गया है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कमी के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। विभाग द्वारा उनका वेतन कम करने से पहले उन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया था और कानून के अनुसार ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना उनकी पीठ पीछे आदेश दिया गया था। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुने भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। कार्रवाई में निष्पक्ष कार्रवाई इस बात की गारंटी देती है कि ऐसा कोई आदेश जिसमें किसी कर्मचारी के नागरिक परिणामों को भुगतने का प्रभाव हो, संबंधित को नोटिस दिए बिना और प्रकरण में उसे सुनवाई दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि, ऐसा नहीं किया गया था, आदेश (जापन) दिनांक 25.7.1991। जिसे न्यायाधिकरण से पहले आरोपित किया गया था, निश्चित रूप से कायम नहीं रखा जा सका और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करने में गलती कर गया। न्यायाधिकरण का आदेश रद्द किए जाने का हकदार है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश के साथ-साथ न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक 25.7.1991 के आदेश (जापन) को रद्द करते हैं, जिसमें अपीलकर्ता के मूल वेतन को 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।

8. चूंकि उपरोक्त पहलू में पूरी तरह से कमी है, इसलिए विचाराधीन क्रम को बनाए नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, रिट याचिका पर निम्नलिखित शर्तों में निर्णय लिया जा रहा है: -

(क) सहायक पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय आगरा द्वारा पारित दिनांक 01.09.2025 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।



(ख) रिट याचिकाकर्ता को नोटिस में डालने के बाद प्रकरण को नया आदेश पारित करने के लिए प्राधिकरण को वापस भेज दिया जाता है।

9. प्रकरण के शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए, रिट याचिकाकर्ता को 07.11.2025 तक रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया जाता है, जो उक्त प्रस्ताव पर दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर कानून के अनुसार सख्ती से विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।”

5. उक्त आदेश पारित होने के बाद, रिट याचिकाकर्ता को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जिसे रिट याचिकाकर्ता ने 16.02.2026 को प्रस्तुत किया था और अब, आक्षेपित आदेश उप पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, आगरा द्वारा पारित किया गया था, जिसमें 18.02.2026 को वसूली को प्रभावी करने के लिए रिट याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया था।

6. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए, वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई है।

7. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने की मांग की है कि आक्षेपित आदेश को इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि दिनांक 16.02.2026 के अभ्यावेदन/उत्तर में, रिट याचिकाकर्ता ने (2015) 4 एससीसी 334 में प्रतिवेदित **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर)** के फैसले पर भरोसा किया था कि रिट याचिकाकर्ता से कोई वसूली नहीं की जा सकती थी, विशेष रूप से जब रिट याचिकाकर्ता किसी भी धोखाधड़ी, छिपाने या गलत बयानी के अभाव में 31.07.2024 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गया था, लेकिन उक्त पहलू पर विचार या विज्ञापन नहीं किया गया है, हालांकि कलम के एक झटके से, रिट याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया है।

8. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क ने प्रस्तुत किया कि एक बार रिट याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बाद, उस पर विचार किया जाना चाहिए था।

9. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव ने प्रस्तुत किया कि जो भी हो, प्रत्यर्थीगण के लिए राशि की वसूली के लिए हमेशा खुला है, यदि इसे पात्रता से वंचित किया गया है, हालांकि, उनके अनुसार इस तरह उठाए गए कानूनी विवाद पर विचार नहीं किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. मैंने बार में किए गए प्रस्तुतियों को सुना है और रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

11. जाहिर है, दिनांक 01.09.2025 के आदेश को रद्द करने के बाद, प्रकरण को वापस भेज दिया गया। रिट याचिकाकर्ता ने 16.02.2026 को कानूनी आधार लेते हुए अपनी आपत्ति प्रस्तुत की कि यह धोखाधड़ी, छिपाने या गलत बयानी का प्रकरण नहीं है और आगे उसका प्रकरण रफीक मसीह (पूर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मददेनजर शामिल है, लेकिन उक्त तर्क पर विचार नहीं किया गया है और इसे नजरअंदाज कर दिया गया है।

12. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा इस तरह से उठाया गया तर्क, जो रिट याचिकाकर्ता के अनुसार विधिक है, पर ध्यान नहीं दिया गया है, इस प्रकार उप पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय आगरा द्वारा पारित दिनांक 18.02.2026 के आदेश को अपास्त किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर विधि अनुसार सख्ती से एक नया आदेश पारित करने के लिए प्रकरण को प्राधिकरण को वापस प्रेषित किया जाता है।

20 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)